

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 112]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 17 मार्च 2020-फाल्गुन 27, शक 1941

### किसान कल्याण तथा कृषि विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 मार्च 2020

क्रमांक बी-15-1/2020/14-2 : मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 72 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा कृषि उपज मंडी समिति, होशंगाबाद एवं बाबई हेतु क्रमांक - डी-15-1-2014- चौदह-3 दिनांक 25 सितम्बर 2014, कृषि उपज मंडी समिति, खुरई एवं मालथौन हेतु क्रमांक - डी-15-1-2014- चौदह-3 दिनांक 11 मई 2015, कृषि उपज मंडी समिति, केवलारी एवं पलारी हेतु क्रमांक - डी-15-1-2014- चौदह-3 दिनांक 11 मई 2015, कृषि उपज मंडी समिति, मुंगावली एवं चंदेरी हेतु क्रमांक - डी-15-6-2015 - चौदह-3 दिनांक 15 फरवरी 2016, कृषि उपज मंडी समिति, निवाड़ी एवं पृथ्वीपुर हेतु क्रमांक - डी-15-20-2016- चौदह-3 दिनांक 6 मई 2016, एवं कृषि उपज मंडी समिति, हरपालपुर एवं नौगांव हेतु क्रमांक - डी-15-41-2016- चौदह-3 दिनांक 26 सितम्बर 2016 द्वारा भारसाधक मंडी समितियों के गठन हेतु अधिसूचना जारी की गई।

कृषि उपज मंडी होशंगाबाद, बाबई, खुरई, मालथौन, केवलारी, पलारी, मुंगावली, चंदेरी, निवाड़ी, पृथ्वीपुर, हरपालपुर तथा नौगांव की उपरोक्त उल्लेखित अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए उक्त भारसाधक समितियों को 06 जनवरी 2019 से म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक-डी-15-72 /2018/14-3 दिनांक 04 जनवरी 2019 एवं म.प्र. शासन कृषि विभाग की अधिसूचना क्रमांक-डी-15-72/2019/14-3 दिनांक 08 मार्च 2019 द्वारा विघटित किया गया।

अतः म.प्र. शासन कृषि विभाग की पूर्व समख्यंक अधिसूचना दिनांक 04.01.2019 व 08.03.2019 से जारी अधिसूचना/आदेश अधिकृत करते हुये, म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 72(2) के तहत कृषि उपज मंडी समिति होशंगाबाद, बाबई, खुरई, मालथौन, केवलारी, पलारी, मुंगावली, चंदेरी, निवाडी, पृथ्वीपुर, हरपालपुर तथा नौगांव की भारसाधक समितियों को विघटित किया जाकर उनके नाम के सम्मुख दर्शित भारसाधक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है:-

क्रमांक	मंडी समिति का नाम	भारसाधक अधिकारी
01	होशंगाबाद जिला होशंगाबाद	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, होशंगाबाद
02	बाबई जिला होशंगाबाद	तहसीलदार बाबई
03	केवलारी जिला सिवनी	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, केवलारी
04	पलारी जिला सिवनी	तहसीलदार पलारी
05	खुरई जिला सागर	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, खुरई
06	मालथौन जिला सागर	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, मालथौन
07	निवाडी जिला निवाडी	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, निवाडी
08	पृथ्वीपुर जिला निवाडी	तहसीलदार पृथ्वीपुर
09	हरपालपुर जिला छतरपुर	तहसीलदार हरपालपुर
10	नौगांव जिला छतरपुर	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, नौगांव
11	मुंगावली जिला अशोकनगर	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, मुंगावली
12	चंदेरी जिला अशोकनगर	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, चंदेरी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजीत केसरी, प्रमुख सचिव.

क्र.-बी-15-1-2020-चौदह-2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 17 मार्च 2020 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजीत केसरी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 17th March 2019

**No. B-15-1/2020/14-2 :** Whereas State Government in exercise of its powers conferred by Sub section (2) of section -72 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 ( No. 24 of 1973) has constituted Committee- in - charge for Krishi Upaj Mandi Samiti Hoshangabad and Babai vide notification Number D-15-1-2014-14-3 dated 25- 09-2014, for Krishi Upaj Mandi Samiti Khurai and Malthon vide notification Number D-15-1-2014-14-3 dated 11-05-2015, for Krishi Upaj Mandi Samiti, Kevlari and Palari vide notification Number D-15-1-2014-14-3 dated 11-05-2015, for Krishi Upaj Mandi Samiti, Mungawali and Chaderi vide notification Number D-15-6-2015-14-3 dated 15-02-2016, for Krishi Upaj Mandi Samiti Niwadi and Prathvipur vide notification Number D-15-20-2016-14-3 dated 06-05-2016 and for Krishi Upaj Mandi Samiti Harpalpur and Noagoan vide notification Number D-15-41-2016-14-3 dated 26- 09-2016.

In order to supersede the above mentioned notifications of Agriculture Produce Market Hoshangabad, Babai, Khurai, Malathoun, Kevalari, Palari, Mungaoli, Chanderi, Niwari, Prithvipur, Harpalpur and Naogaon, the above In-charge Committees were dissolved from 06 January 2019 vide Government notification no. D-15-72/2018/14-3 dated 04 January 2019 and notification number-D-15-72/2019/14-3 dated 08 March 2019 of the Government and Madhya Pradesh Department of Agriculture.

Therefore, superseding notifications dated 04.01.2019 and 08.03.2019 as per the provisions of Section 72(2) of the above mentioned M.P. Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 the Incharge Committees of Agricultural Produce market Hoshangabad, Babai, Khurai, Malathon, Kevalari, Palari, Mungaoli, Chanderi, Niwari, Prithvipur, Harpalpur and Naogaon are dissolved and Officer Incharge are appointed for the respective Agriculture Produce Market Committees as per the following schedule:-

No	Name of Mandi	Officer Incharge
01	Hoshangabad District Hoshangabad	Sub-Divisional Officer, Revenue, Hoshangabad
02	Babai District Hoshangabad	Tehsildar, Babai
03	Kevalari District Seoni	Sub-Divisional Officer, Revenue, Kewalari
04	Palari District Seoni	Tehsildar, Palari
05	Khurai District Sagar	Sub-Divisional Officer, Revenue, Khurai
06	Malathoun District Sagar	Sub-Divisional Officer, Revenue, Malathoun
07	Niwadi District Niwadi	Sub-Divisional Officer, Revenue, Niwadi
08	Prithvipur District Niwadi	Tehsildar, Prithvipur
09	Harpalpur District Chhatarpur	Tehsildar, Harpalpur
10	Nowgaon District Chhatarpur	Sub-Divisional Officer, Revenue, Nowgaon
11	Mungaoli District Ashoknagar	Sub-Divisional Officer, Revenue, Mungaoli
12	Chanderi District Ashoknagar	Sub-Divisional Officer, Revenue, Chanderi

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
**AJIT KESARI**, Principal Secy.